न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 248 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 14.12.2017

अर्जुन पिता इन्द्रमल जाति लोढा निवासी बी 12 मीरानगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. उदी पुत्री किशना जाति अहीर निवासी पुरोहितो का सांवता तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. धापु पुत्री किशना जाति अहीर निवासी पुरोहितो का सांवता तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. किशना पिता गणेश जाति अहीर निवासी पुरोहितो का सांवता तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. नारायण पिता किशना जाति अहीर–मृतक के बजाय
   1. कमला पत्नि नारायण जाति अहीर निवासी पुरोहितो का सांवता तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   2. पारस पुत्री नारायण नाबालिग बवियालत माता कमला पत्नि नारायण जाति अहीर निवासी पुरोहितो का सांवता तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. उप–पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 218/2012 वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2013

उपस्थित–
1. चंदनमल जणवा–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रमेश चन्द्र शर्मा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4/1 व 4/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6

निर्णय **दिनांक 22.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादियागण की ओर से रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण व रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी की पैतृक कृषि आराजीयात मोजा पुरोहितो का सांवता तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता सं. 253 मे अंकित कृषि आराजी नम्बर 243 मीन, 498/1455, 1115, 1117/1448, 1116/1450, 1109मीन, 1108मीन कुल किता 7 कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर व खाता सं. 44 मे दर्ज आराजी नम्बर 1120 रकबा 0.67 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमे रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण व रेस्पोडेन्टगण सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक व हिस्सा बनता है। लेकिन राजस्व रेकार्ड मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादियागण के नाम दर्ज की जावे व पैतृक कृषि आराजीयात को रहन बह नही करे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण सं. 3 से 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत करने पर वादपत्र वादीगण रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 निर्णय व डिक्री किया गया। कृषि आराजी नम्बर 1120 रकबा 0.67 हैक्टेयर जो रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे दिनांक 04.12.2015 को विक्रय कर विक्रय इकरार का निष्पादन करते हुए 19.00 लाख रूपये नकद प्राप्त किये। उसके बावजूद रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण के पक्ष मे सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया व सहमति के जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2013 से असंतुष्ट होते हुए अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट पक्षकार मुकदमा नही होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2013 के विरूद्ध अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 मय विक्रय इकरार दिनांक 04.12.2015 की फोटो प्रति व नकल जमाबन्दी मोजा पुरोहितो का सांवता तहसील चित्तौड़गढ़ संवत् 2068-2071 की खतोनी सं. 46 व अपील म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादियागण व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण सं. 3 4/1 व 4/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्टगण सं. 5 व 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण ने रेस्पोडेन्टगण सं. 3 से 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण सं. 3 से 6 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया व वादपत्र मे अंकित सभी तथ्यो को स्वीकार कर दुरभि-संधि कर रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण के पक्ष मे वादपत्र डिक्री करवाया है। कृषि आराजी नम्बर 1120 रकबा 0.67 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 के तन्हा खातेदारी की रही है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 ने अपीलान्ट के पक्ष मे दिनांक 04.12.2015 को विक्रय इकरार निष्पादित किया है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 इकरारकर्त्ता को रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण के पक्ष मे वादियागण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे किसी प्रकार की सहमति देने का अधिकार नही रहता है। फिर भी रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया। उक्त जवाबदावे के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे निर्णय व डिक्री पारित किये। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण ने रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैतृक कृषि आराजीयात मे अपने हक व हिस्से की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण सं. 3 से 6 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित होकर सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा तनकियात की आवश्यकता नही होना मानते हुए रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण की साक्ष्य ली जाकर उक्त पत्रावली मे उभयपक्षो की बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण का वादपत्र दिनांक 25.03.2013 को निर्णय व डिक्री किया है। अपीलान्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे न तो पक्षकार मुकदमा था, न ही खातेदार था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 08.08.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत किया। उस समय रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 ने किसी कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कोई विक्रय इकरार किसी भी व्यक्ति के पक्ष मे निष्पादित नही किया था, न ही किसी प्रकार का कब्जा सुपुर्द किया था। रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी के जायन्दा वारिस रहे है। विवादित कृषि आराजीयात पक्षकारान रेस्पोडेन्टगण 1 से 4 वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि आराजीयात रही है। पैतृक कृषि आराजीयात साबित होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र दिनांक 25.03.2013 को निर्णय व डिक्री किया है। निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2013 को अपीलान्ट के पक्ष मे किसी प्रकार का कोई विक्रय इकरार नही था। निर्णय व डिक्री के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 को सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री से रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण के पक्ष मे हक व हिस्सा निहित हो चुका था। उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 को किसी प्रकार का विक्रय इकरार करने का अधिकार नही था। बिना किसी अधिकार के जिस विक्रय इकरार के आधार पर अपीलान्ट ने न्यायालय आप मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है, जिसमे अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नही होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दिवानी एवं धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 का स्वीकार योग्य नही होकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना विधिसम्मत नही होना मानते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण सं. 5 व 6 प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण ने रेस्पोडेन्टगण सं. 3 से 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैतृक कृषि आराजीयात मे अपने हक व हिस्से की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकियात की आवश्यकता नही होने से रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण की साक्ष्य लिवाई जाकर उभयपक्षो की बहस के आधार पर रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादियागण का वादपत्र निर्णय व डिक्री किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की पूर्णतया पालना करते हुए पत्रावली मे निर्णय व डिक्री पारित किये है। अपीलान्ट ने तथाकथित विक्रय इकरार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक 04.12.2015 के आधार पर न्यायालय आप मे अपील प्रस्तुत की है जबकि उससे पूर्व ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.03.2013 को निर्णय व डिक्री पारित किये है जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार नही है। प्रभावित पक्षकार नही होने से धारा 96 जाप्ता दिवानी का आवेदन भी स्वीकार योग्य नही है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से म्याद के बिन्दु पर ही निरस्त योग्य है। अन्त मे अपील अपीलान्ट निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट्गण सं. 1 व 2 वादियागण ने रेस्पोडेन्ट्गण सं. 3 से 6 प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण सं. 3 से 6 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित होकर सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिससे तनकियात की आवश्यकता नही होने से पत्रावली को उभयपक्षकारान की साक्ष्य मे नियत की जाकर उभयपक्षकारान की बहस सुनी। रेस्पोडेन्ट्गण सं. 1 व 2 वादियागण का वादपत्र पैतृक कृषि आराजीयात का प्रमाणित होने से रेस्पोडेन्ट्गण सं. 1 व 2 वादियागण का हक व हिस्सा घोषित किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है। अपीलान्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही था न ही रेस्पोडेन्ट्गण सं. 1 व 2 वादियागण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार मुकदमा ही था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.03.2013 को रेस्पोडेन्ट्गण सं. 1 व 2 वादियागण के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित की है तब तक अपीलान्ट का विवादित कृषि आराजीयात मे किसी प्रकार का हित निहित नही था। अपीलान्ट ने निर्णय व डिक्री पारित होने के 2 वर्ष 8 माह पश्चात् दिनांक 04.12.2015 को रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 से विक्रय इकरार निष्पादित करवाया। उक्त विक्रय इकरार के आधार पर अपने आप को प्रभावित पक्षकार होना मानते हुए इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की है, प्रथमतया विक्रय इकरार की पालना कराने का राजस्व न्यायालय को अधिकार नही होकर सिविल न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त है। विक्रय इकरार जो निर्णय व डिक्री के 2 वर्ष 8 माह पश्चात् अंपजीकृत विक्रय इकरार निष्पादित होना बताया है के आधार पर अपीलान्ट को प्रभावित पक्षकार नही माना जा सकता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.03.2013 को रेस्पोडेन्ट्गण सं. 1 व 2 वादियागण के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने दिनांक 13.12.2017 को प्रथम अपील प्रस्तुत की है जो स्पष्टतया 4 वर्ष 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जिससे अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दिवानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम,1963 स्वीकार योग्य नही होने व गुणावगुण के आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 218/2012 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2013 यथावत रखे जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 248/2017/डिक्री

श्री अर्जुन पिता इन्द्रमल जाति लोहार निवासी बी 12 मीनानगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

(1) श्री उदी पुत्री किशना जाति अहीर निवासी पुरोहितों का सांवता तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2) धापु पुत्री किशना जाति अहीर निवासी पुरोहितों का सांवता तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3) किशना पिता गणेश जाति अहीर निवासी पुरोहितों का सांवता तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलान्ट

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण सं. 218/2012 दि. 25-3-2013 अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 22-12-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनमल जणवा, रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रमेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता रेस्पो. क्र. 1 व 2 रेस्पो. 3, 4/1 व 4/2 व 5 (प्रथम) अनु० (व) पूरणमल स्वर्णकार राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 5, 6 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 218/2012 रेवेन्यू वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-3-2013 यथावत रखे जाते हैं।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....-........ रुपये हैं, ...-........ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....-........ द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 22-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 22-12-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

(2)

②

सवामें,

④ नारायण पिता किशना जाति अहीर- मृतक के बजाय

(i) कमला पत्नि नारायण जाति अहीर निवासी पुरोहितो का सांवता तहसील व जिला चित्तौ.

(ii) पारस पुत्री नारायण नाबालिग बविलायत माता कमला पत्नि नारायण जाति अहीर निवासी पुरोहितो का सांवता तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।

⑤ राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।

⑥ उप-पंजीयक उपपंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

P.T.O.